CHHATTISGARH SAMVAD

(An Associate Organization of C.G.D.P.R.)

North Block, Sector - 19, Atal Nagar, CHHATTISGARH, 0771-2512567, Samvad.cg.nic.in

GST No : 22AAATC9294Q1Z4 **PAN No : AAATC9294Q** **TAN : JBPC00957F**

साप्ताहिक पत्र रोजगार और नियोजन मुद्रण हेतु निविदा 2021-2023 | की नियम एवं शर्ते

क्रमांक	नियम एवं शर्ते
1	मुद्रक के पास स्वयं के स्वामित्व का न्यूनतम 560 mm कट साइज़ का मल्टीकलर वेब ऑफसेट मशीन चालू हालत में होना अनिवार्य है | जिसकी प्रति घंटा छपाई क्षमता 10 हजार या उससे अधिक होना चाहिये ।
2	रोजगार और नियोजन निविदाकर को किसी चार्टर्ड अकाउंटेंट से सत्यापित गत तीन वर्ष का कम से कम 50 लाख रुपए प्रति वर्ष का मुद्रण कार्य का टर्न ओवर होने का प्रमाणपत्र प्रस्तुत करना होगा |
3	रोजगार और नियोजन के मुद्रण हेतु निविदाकारो को निम्नलिखित दस्तावेज अपने हस्ताक्षर से प्रमाणित कर निविदा के साथ प्रस्तुत करना अनिवार्य हैं :- (1) जी.एस.टी. पंजीयन प्रमाण पत्र । (2) पेन कार्ड । (3) इंकम टैक्स रिटर्न एवं गणना पत्र । (4) पार्टनरशिप डीड (यदि फर्म पार्टनरशिप मे है तो) / कंपनी रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट| (5) फैक्ट्री रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट / शॉप एक्ट लायसेन्स । (6) स्वप्रमाणित स्वयं के स्वामित्व की वेब ऑफसेट मशीन का बिल , मशीन कट आफ साईज , मशीन की कंपनी के नाम सहित । (7) स्वयं के स्वामित्व की कटिंग मशीन आदि का बिल । (8) मुद्रणालय / फर्म के नाम का विघुत बिल (स्वप्रमाणित) ।
4	एजेंसियों को निविदा के साथ सुरक्षा निधि के रूप मे छत्तीसगढ़ संवाद, रायपुर के नाम से देय राशि 50,000/- (पचास हजार रुपये मात्र) का डिमांड ड्राफ्ट उपलबद्ध करना होगा|
5	प्रिंटिंग मे निर्धारित तिथि, प्रस्तुत सेंपल अनुसार मुद्रण हेतु कागज एवं समय का परिपालन किया जाना अनिवार्य होगा , निविदाकार को दो अलग - अलग बन्द लिफाफे मे निविदा जमा करना होगा । एक लिफाफा टेक्निकल बिड का रहेगा जिसमे छत्तीसगढ़ संवाद के नाम से देय 50,000/- (पचास हजार रुपये मात्र) एवं निविदा प्रपत्र राशि रू1180/- का डिमांड ड्राफ्ट, मशीन एवं अन्य टेक्निकल जानकारियां रहेगी एवं दूसरे लिफाफे मे (फाइनेशियल बिड) मात्र निविदा दरे रहेगा । लिफाफे के ऊपर फाइनेशियल बिड एवं दूसरे लिफाफे टेक्निकल बिड का उल्लेख करना होगा । वांछित दस्तावेजो एवं मशीनो उपकरणों एवं मानव संसाधनो के भौतिक सत्यापन पश्चात् योग्य पाये गये मुद्रको का फाइनेशियल बिड खोला जायेगा , अयोग्य संस्थाओ का फाइनेशियल बिड नही खोला जायेगा ।(विशेष परिस्थितियों में पृष्ठ संख्या मे वृद्धि भी की जा सकती है, जिसके लिये प्राप्त दरो की पृष्ठ संख्या मे विभाजित कर प्राप्त प्रति पृष्ठ की दर के अनुसार भुगतान किया जा सकेगा)
6	छत्तीसगढ़ संवाद का साप्ताहिक पत्र रोजगार और नियोजन के मुद्रण का अनुबन्ध सामान्यत दो वर्ष की अवधि के लिये होगा । कार्य संतोषजनक पाये जाने की स्थिति में अनुबन्ध की अवधि बढ़ाई जा सकेगी । मुद्रण कार्य मे त्रुटि , गुणवत्ता की कमी , किसी प्रकार की अनियमितता तथा शर्तो के किसी भी बिन्दु का उल्लघंन होने की दशा मे अनुबन्ध निरस्त किया जा सकेगा तथा मुद्रक से क्षतिपूर्ति भी वसूली की जायेगी , तथा काली सूची मे डाली जा सकती है । आवश्यकता होने पर निविदा दरो एवं अवधि मे वृद्धि करने का अधिकार छत्तीसगढ़ संवाद के पास सुरक्षित होगा ।
7	एजेंटो को नियत समय प्रति सोमवार को रोजगार और नियोजन की प्रतियाँ सुरक्षित बंडल में प्रदान करना मुद्रक की जिम्मेदारी होगी ।
8	मुद्रक को मुद्रण संबंधी देयको का भुगतान प्रमाणित नमूनों की छत्तीसगढ़ संवाद द्वारा गुणवत्ता एवं चालान के परीक्षणोंपरांत किया जायेगा ।
9	एजेंसियों को रोजगार और नियोजन प्रदान करने हेतु बंडल बनाने का कार्य रोजगार और नियोजन मुद्रण करने वाले मुद्रक को ही करना होगा । मुद्रक को स्वीकृत दर के अलावा अलग से फिल्म प्लेट पेपर ,बंडल बनाने पैकिंग एवं अन्य कार्य हेतु खर्च नही दिया जायेगा ।
10	निविदा मे प्राप्त दरो के आधार पर न्यूनतम दर निर्धारित कर निर्धारित दरो मे कार्य करने मे सहमत मुद्रकों की पैनल तैयार किया जाएगा एव पैनल के मुद्रकों से न्यूनतम निर्धारित दरो मे कार्य करवाने का पूर्ण अधिकार मुख्य कार्यपालन अधिकारी छत्तीसगढ़ संवाद को रहेगा , निविदा दरें अव्यवहारिक होने पर मान्य करना अनिवार्य नहीं होगा |
11	निविदा के साथ चाहे गए सभी प्रकार के पेपर के नमूने जिसमे आकार तथा गुणवत्ता के प्रमाणीकरण के साथ संस्था की सील लगी हुई हो संलग्न कर प्रस्तुत करना होगा, मुद्रण किए जाने वाली सामग्री के गुणवत्ता आकार प्रकार एव पृष्ठ संख्या मे परिवर्तन होने पर न्यूनतम दर से आनुपातिक दर गणना किया जाएगा एवं गुणवत्ता मे कमी पाये जाने पर अनुपातिक दर के अतिरिक्त 5 से 20 प्रतिशत तक पेनाल्टी काटी ज़ायेगी ।

12	जिन किस्मों का कागजो मे मुद्रण किए जाने के लिए निविदाए मंगाई जा रही है उन्ही किस्मों के कागज मात्रा तथा आकार - प्रकार एवं निर्धारित समय सीमा मे मुद्रण सामग्री प्रदाय करनी होगी| मुद्रक द्वारा बिना लिखित अनुमति के मुद्रण कार्यादेश से मुद्रण मे परिवर्तन करने पर छत्तीसगढ़ संवाद मुद्रकों के देयकों का भुगतान करने के लिये बाध्य नहीं होगा|
13	मुद्रक द्वारा प्रस्तुत देयक मे मुद्रित सामग्रियों की गुणवत्ता, मात्रा एवं दर का स्पष्ट उल्लेख होना चाहिए।
14	मुद्रण दरे F.O.R. नया रायपुर होगी अर्थात सुपुर्दगी का स्थल स्थानीय (रायपुर मे) होने की स्थिति मे मुद्रकों / एजेंसियों को अलग से किसी प्रकार का परिवहन व्यय देय नहीं होगा , सुपुर्दगी स्थल रायपुर से बाहर होने की स्थिति मे परिवहन व्यय का भुगतान छत्तीसगढ़ शासन द्वारा मान्य दर पर देय होगा , जो परिवहन संबंधी दस्तावेज़ प्रस्तुत करने पर सम्बन्धित विभाग द्वारा सीधे परिवहनकर्ता को भुगतान किया जायेगा।
15	मुद्रक को नियत स्थान तक मुद्रित सामग्री पंहुचाने मे पूरी सुरक्षा बरतनी होगी , मुद्रित सामग्री मे किसी प्रकार की क्षति अथवा कमी पाये जाने की स्थिति मे प्रमाणित नुकसान के लिए मुद्रक स्वयं जिम्मेदार होगा |
16	संवाद द्वारा उपलबद्ध कराये गए सीडी / डिजाइन मे ही मुद्रण करना होगा तथा मुद्रक को स्वीकृत दर के अलावा अलग से फिल्म प्लेट पेपर,बटर पेपर अन्य खर्च के लिए अतिरिक्त राशि नहीं दी जाएगी , अत: निविदा मे समस्त व्यय/कर आदि को शामिल कर दरे प्रस्तुत करे|
17	समय - सीमा व वांछित गुणवत्ता आकार - प्रकार तथा निर्धारित मात्रा मे सामग्रियों का मुद्रण करना अनिवार्य है ,अन्यथा कार्यादेश निरस्त कर मुद्रक को तीन वर्ष के लिए काली सूची मे डाला जा सकता है एवं मुद्रक के जमा अमानत राशि राजसात किया जा सकता है |
18	छ.ग. शासन के किसी भी उपक्रम निगम, मंडल, विश्वविद्यालय स्ववित्तपोषी संस्था द्वारा काली सुची मे डाले गये मुद्रक निविदा मे भाग नही ले सकते। इस सम्बन्ध् मे मुद्रक को स्वहस्ताक्षरित पत्र प्रस्तुत करना होगा कि मुद्रक को उक्त मे से कहीं भी काली सुची मे नही डाला गया है।
19	छत्तीसगढ़ संवाद को किसी भी समय मुद्रकों के मुद्रणालयो का आकस्मिक निरीक्षण करने , मुद्रित सामग्रियों का नमूना लेकर सभी प्रकार की गुणवत्ता परीक्षण करने का पूर्ण अधिकार होगा |
20	निविदा मे अंकित दरे एव शर्तो मे से किसी भी शर्त को पूर्णत: अथवा अंशत कार्य की तात्कालिक एव विशिष्ट परिस्थितियो मे मुख्य कार्यपालन अधिकारी, छत्तीसगढ़ संवाद द्वारा शिथिल किया जा सकेगा ।
21	निविदा स्वीकार करने / अस्वीकार करने तथा न्यूनतम निविदा दर पर पैनल के किसी भी मुद्रक से कार्य कराने का संपूर्ण अधिकार मुख्य कार्यपालन अधिकारी, छत्तीसगढ़ संवाद के पास सुरक्षित रहेगा |
22	मुद्रित सामग्री की गुणवत्ता संबंधी जाँच का संपूर्ण अधिकार छत्तीसगढ़ संवाद को होगा आवश्यकता पड़ने पर संवाद की समिति अथवा मुद्रण कार्य विशेषज्ञ अथवा इस संबंध में जाँच एजेंसी / प्रयोगशाला में जाँच कराई जा सकेगी जिसका व्यय मुद्रक के देयक में काटा जायेगा |
23	निविदा द्वारा इम्पेनलमेंट की प्रक्रिया प्राथमिक तौर पर दर निर्धारण के लिए है ।
24	निविदा दरे निविदा अनुमोदन तिथि से आगामी 2 वर्ष के लिए मान्य रहेगी इसके पश्चात आवश्यकता होने पर निविदा दरो एव अवधि मे वृद्धि करने का अधिकार मुख्य कार्यपालन अधिकारी छत्तीसगढ़ संवाद के पास सुरक्षित रहेगा |
25	न्यूनतम दर(L1 दर)वाले मुद्रक को उनके द्वारा प्रस्तुत L1 दरो में निर्धारित समय सीमा एवं वांछित गुणवत्ता में मुद्रण कार्य करना अनिवार्य है ,अन्यथा L2 दर पर L2 मुद्रक को कार्य आबंटन किया जायेगा एवं दोनो दरो में अंतर राशि गणना कर L1 मुद्रक के किसी अन्य देयक तथा अमानत राशि से कुल अंतर राशि का समायोजन किया जायेगा |
26	निविदा प्रपत्र में संलग्न सभी विवरण वेब ऑफसेट प्रिंटिंग मशीन से रोजगार और नियोजन मुद्रण का है।
27	मुद्रक द्वारा निविदा प्रस्तुत करने का आशय यह होगा कि निविदाकार को उपरोक्त सभी नियम एव शर्ते मान्य है |
28	व्यवहार मे किसी प्रकार के विवाद की स्थिति निर्मित होने पर न्यायालयीन क्षेत्र रायपुर छत्तीसगढ़ ही होगा |

मुख्य कार्यपालन अधिकारी
छत्तीसगढ़ संवाद
रायपुर